संख्या:21/2017/1416/ सत्रह-म-2017-6-9(127)/17

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
मत्स्य निदेशालय
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 24अगस्त, 2017

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण् योजना की आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 4367503/- में से रू0 2765003/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 16/2017/746/सत्रह-म-2017-6-9(127)/17 दिनांक 19 जून, 2017 के क्रम में प्रेषित अपने पत्र संख्या-459 /नि0शा0/2016-17 दिनांक 09 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण् योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 2765003/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का शासन से अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है कि विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण् योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 05 माह के लेखानुदान हेतु अनुमानित आय- व्ययक में रू0 37.38 लाख के अन्तरिम बजट का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या- 16/2017/746/सत्रह-म-2017-6-9(127)/17 दिनांक 19 जून, 2017 द्वारा लेखानुदान अवधि (माह अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक 5/12 भाग) के लिए धनराशि रू0 1557497/-निर्गत की जा चुकी है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण् योजनान्तर्गत आय-व्ययक में धनराशि रू0 5925000/- का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष लेखानुदान अवधि हेतु निर्गत धनराशि रू0 1557497/- को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 4367503 में से धनराशि रू0 2765003/- (रू0 सत्ताईस लाख पैसठ हजार तीन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

3- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में वित्तीय वर्ष- 2017-18 में मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण् योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 5925000/- में से अवशेष धनराशि रू0 4367503 के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या- 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408- विभागीय मत्स्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण के अन्तर्गत मानक मद 02- मजदूरी में धनराशि रू0 96084, 09- विद्युत देय में धनराशि रू0 279239, 39- औषधि तथा रसायन में धनराशि रू0 96084, 42- अन्य व्यय में धनराशि रू0 838829 एवं 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति में धनराशि रू0 1454767 में अर्थात कुल धनराशि रू0 2765003/- (रू0 सत्ताईस लाख पैसठ हजार तीन मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका के अनुसार 34 जनपदों के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

1- उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2- उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक - ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/उपलब्ध कराया जाय।
3- धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
4- योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0 /डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
5- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या- बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त् विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ –साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7- विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराया जाय।
8- जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
9- स्वीकृतियॉं जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नही हुआ / हो रहा है।

4- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय- व्ययक अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- 101- अन्तर्देशीय मछली पालन- 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम-0408- विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण 02- मजदूरी 09- विद्युत देय 39- औषधि तथा रसायन-42-अन्य व्यय 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या – 1/2017/ बी0-1-02/दस - 2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी,2017, कार्यालय ज्ञाप संख्या -3 /2017/ बी0-1- 348 /दस - 2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या -8 /2017/बी0-1-1190 /दस - 2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त 2017 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक – यथोक्त

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव ।

संख्या - 21/2017/1416 (1)/सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविलआडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संयुक्त निदेशक (मत्स्य) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त् (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजनअनु0 -3
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या 21/2017/1417/सत्रह-म-2017-6-9(127)/ 2017, दिनांक 24 अगस्त, 2017 का संलग्नक

वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना 34 जनपदों हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

(धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद	प्रक्षेत्र का नाम	लक्ष्य (लाख में)	02- मजदूरी	09- विद्युत देय	39- औषधि	42- अन्य व्यय	43- सम्पूर्ति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	लडामदा	8.00	1400	0	1400	16495	21275	40570
2	मैनपुरी	चौराईपुर	2.00	260	0	260	3946	3962	8428
3	आजमगढ	अजमतगढ	20.00	3920	0	3920	42067	59519	109426
4	मऊ	हाजीपुर	15.00	1950	0	1950	29595	29715	63210
5	बलिया	निधारिया एवं अवांय	33.00	4290	21666	4290	24109	65373	119728
6	इलाहाबाद	तेंदुआ एवं तरांव	45.00	5850	17959	5850	54158	89145	172962
7	फतेहपुर	टेसाही बुजुर्ग	15.00	2430	15606	2430	4893	36951	62310
8	प्रतापगढ	बेलहा	35.00	6350	43362	6350	12760	96470	165292
9	कानपुर नगर	चौबेपुर	5.00	650	0	650	9865	9905	21070
10	इटावा	करवाबुजुर्ग	5.00	650	2802	650	1315	9905	15322
11	देवरिया	खुखुन्दू	15.00	3400	0	3400	31215	48055	86070
12	कुशीनगर	गंगेलवा	11.00	2750	0	2750	24310	41690	71500
13	बस्ती	शंकरपुर	10.00	1300	0	1300	19730	19810	42140
14	संतकबीरनगर	तामां	17.00	2210	19070	2210	14471	33677	71638
15	सिद्धार्थ नगर	पंचमोहनी	21.00	2730	0	2730	41443	41601	88494
16	महोबा	अटकोहा	4.00	520	0	520	7892	7924	16856
17	बांदा	नहरी	5.00	650	0	650	9865	9905	21070
18	झांसी	गुरसराय	22.00	3340	0	3340	44354	50818	101852
19	जालौन	आटा	8.00	1040	5784	1040	2104	15848	25816
20	ललितपुर	माताटीला	17.00	2210	0	2210	33541	33677	71638
21	सुल्तानपुर	तौकलपुर	19.00	2470	0	2470	37487	37639	80066
22	बाराबंकी	बंकी	30.00	3900	0	3900	59190	59430	126420
23	गोण्डा	पुरेतिवारी	40.00	5200	25966	5200	30520	79240	146126

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24	बरेली	लांबाखेडा	6.00	1500	0	1500	13260	22740	39000
25	शाहजहॉपुर	बलेली	17.00	2210	8917	2210	14471	33677	61485
26	बिजनौर	ढेलाअहीर	5.00	650	0	650	9865	9905	21070
27	बागपत	सरूरपुर	10.00	1300	7772	1300	2630	19810	32812
28	उन्नाव	नवाबगंज	33.00	4890	7503	4890	51294	74418	142995
29	सीतापुर	सुरैचा	17.00	2210	0	2210	33541	37623	75584
30	हरदोई	सण्डीला	17.00	2210	8918	2210	14471	37623	65432
31	लखीमपुर खीरी	घरथनियां	37.00	5650	39622	5650	11390	85960	148272
32	जौनपुर	गूजरताल	32.00	4160	12146	4160	38512	63392	122370
33	मिर्जापुर	बघोडा एवं समोग्रा	42.00	5460	16619	5460	50547	83202	161288
34	संतरविदास नगर	विक्रमपुर	47.00	6374	25527	6374	43533	84883	166691
	योग -		665.00	96084	279239	96084	838829	1454767	2765003

(कुल रू0 सत्ताईस लाख पैसठ हजार तीन मात्र)

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव ।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।